40

न्यायालय सहा0 कलेक्टर प्र0श्रे0 / परगनाधिकारी बाजपुर जिला उधम सिंह नगर।
राजस्व वाद सं0 22 / 46 वर्ष 2010–11 धारा 143 ज0 वि0 एवं भू0 सु0 अधिनियम

प्रार्थी:– डी0पी0एस0 कॉलेज आफ एजुकेशनल विचपुरी बाजपुर तहसील बाजपुर जिला उधम सिंह नगर ।

बनाम

विपक्षी:– उत्तराखण्ड, सरकार ।

अन्तर्गत धारा 143 ज0 वि0 एवं भू0सु0 अधिनियम

0—————————————————————0

C.F. 13

F 13

नकल टिकट फीस की धनराशि 13.00
पंजिका क्रमांक 60
प्रार्थना-पत्र की तिथि 01-4-11
सूचना पट की तिथि 01-4-11
प्रतिलिपि देने की तिथि 01-4-11
नकल पाने वाले का नाम ...... कुलविन्दर सिंह एडवोकेट (वादी)

प्रतिलिपि कर्ता ......
मिलान कर्ता ......
शब्दों की संख्या 460/-

सत्य प्रतिलिपि
4/11
न्यायालय सहा० कलेक्टर,
परगनाधिकारी, बाजपुर।

Chairman
D.P.S. College of Education
Bichpuri, Bazpur (U.S. Nagar) U.K.

न्यायालय सहा० कलेक्टर प्र०श्रे० / परगनाधिकारी,बाजपुर जिला उधम सिंह नगर।
राजस्व वाद सं० 22 / 46 वर्ष 2010–11 धारा 143 ज० वि० एवं भू० सु० अधिनियम

प्रार्थी:– डी०पी०एस० कालेज आफ एजुकेशनल विचपुरी बाजपुर तहसील बाजपुर जिला उधम सिंह नगर ।

बनाम

विपक्षी :– उत्तराखण्ड सरकार ।

24–12–2010

आज पत्रावली पेश। पुकारने पर प्रार्थी पक्ष की ओर से महिपाल सिंह चेयरमैन एवं विपक्षी सरकार के विद्वान अधिवक्ता हाजिर । नियत तिथी को उभय पक्षों की मौखिक बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र दि० 07–12–10 पर प्राप्त चकबन्दी अधिकारी / तहसीलदार ,बाजपुर की आख्या कमशः दि० 14–12–10 व 23–12–10 पर संस्थित हुआ । प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में कथन किया है कि उनके नाम ग्राम विचपुरी तहसील बाजपुर के खसरा न० 6/8 मि० रकवा 0–405 है० लगानी रू० 10–00 पै० भूमि संकमणीय भूमिधर में दर्ज है । उपरोक्त आराजी पर खेती,कुक्कुट पालन एवं मत्स्य पालन का कार्य नहीं हो रहा है । प्रार्थी उपरोक्त आराजी को व्यवसायिक प्रयोजन हेतु अकृषिक कराना चाहता है । इसलिए इस भूमि को अकृषिक घोषित कर दिया जाय । प्रार्थी ने अपने कथन की पुष्टि में प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य खतौनी ग्राम विचपुरी तहसील बाजपुर 1398 फ० से 1403 फ० के खाता सं० 17 में उपरोक्त आराजी प्रार्थी के नाम संकमणीय भूमिधरी में दर्ज अभिलेख है । प्रश्नगत मामले में तहसीलदार बाजपुर से वाँछित आख्या प्राप्त की गई । तहसीलदार,बाजपुर की आख्या दिनांक 23–12–10 मय र०का० की आख्या के साथ एवं चकबन्दी अधिकारी बाजपुर की आख्या दि० 14–12–10 सहा० चकबन्दी अधिकारी बाजपुर की आख्या के साथ मय ट्रेसिग नकशे की छाया प्रति के साथ प्राप्त हुई। प्राप्त आख्याओं के अनुसार उपरोक्त आराजी पर खेती,कुक्कुट, पालन एवं मत्स्य पालन का कार्य नहीं हो रहा है । उपरोक्त आराजी परती पडी है और सीलिंग से प्रभावित नही है। ट्रेसिग नकशे की छाया प्रति मेंमें प्रश्नगत भूमि को काली लाइन से प्रदर्शित किया गया है।

प्रार्थी ने अपनी मौखिक बहस में कहा कि उपरोक्त आराजी पर खेती का कार्य,मत्स्य पालन एवं कुक्कुट पालन का कार्य नहीं हो रहा है। उपरोक्त आराजी परती पडी है तथा भूमि अकृषिक है। इसलिए उपरोक्त भूमि को अकृषिक घोषित कर दिया जाय ।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी मौखिक बहस में यही कहा कि तहसीलदार बाजपुर की आख्यानुसार उपरोक्त आराजी पर खेती,कुक्कुट पालन एवं मत्स्य पालन का कार्य नहीं हो रहा है । उपरोक्त भूमि परती पडी होना तथा भूमि अकृषिक होना तस्दीक हुआ है। इसलिए तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाय ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उपरोक्त आराजी में खेती,कुक्कुट पालन एवं मत्स्य पालन का कार्य नहीं हो रहा है । उपरोक्त आराजी पर खेती,कुक्कुट पालन एवं मत्स्य पालन का कार्य नहीं हो रहा है । भूमि परती पडी है तथा भूमि अकृषिक है और सीलिंग से प्रभावित नही है । जिसकी पुष्टि र०का० एवं चकबन्दी अधिकारी,बाजपुर की [illegible] से होती है । इस प्रकार भूमि के अकृषिक होने के कारण उपरोक्त भूमि को अकृषिक घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दि० 07–12–10 एवं चकबन्दी अधिकारी, बाजपुर की आख्या दिनांक 14–12–10 को स्वीकार किया जाता है और ग्राम विचपुरी तहसील बाजपुर के खसरा नं० 6/8 मि० रकवा 0–405 है० लगानी रू० 10–00 पै० भूमि को ज० वि० एवं भू० सु० अधिनियम की धारा 143 के तहत अकृषिक घोषित कर लगान से मुक्त किया जाता है । इसी अनुसार घोषणा पत्र एवं परवाना अमलदरामद जारी किया जाय।पत्रावली बाद आ० का० माल अभिलेखागार को संचित हो ।

(फिचाराम चौहान)
सहा० कलेक्टर प्र० श्रे० / परगनाधिकारी
बाजपुर जिला उधम सिंह नगर ।

न्यायालय

College of Education
Bazpur (U.S. Nagar) U.K.